न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2023/10

1. शहनाज उर्फ अजमेरी पुत्री अमीन उर्फ पिल्ली पत्नी शहिद जाति मेव निवासी सूरजमुखी रोड़ नगरपालिका के पास तिजारा, तहसील तिजारा जिला अलवर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. अयूब पुत्र हमीदा जाति मेव निवासी चामरोडा तहसील किशनगढ़ बास जिला अलवर।

——रेस्पोडेन्ट

2. नजीरा बेवा अमीन उर्फ पिल्ली जाति मेव निवासी चिमरोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ बास तहसील किशनगढ़ बास जिला अलवर।

उपस्थितिः—

1. **श्री राजाराम चौधरी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री विजयसिंह राठौड़ एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 23.01.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ बास जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम चामरोडा तहसील किशनगढ बास जिला अलवर स्थित भूमि खसरा नम्बर 587 रकबा 0.32 हैक्टयर, खसरा नम्बर 585 रकबा 0.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 259 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.57 हैक्टयर, खसरा नम्बर 563 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नमबर 567 रकबा 0.23 हैक्टयर, खसरा नम्बर 580 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 722 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 728 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 773 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 873 रकबा 0.48 हैक्टयर कुल किता 11 किुल रकबा 2.92 हैक्टयर के 2/5 हिस्से का खातेदार अमीन उर्फ पिल्ली पुत्र पटमल जाति मेव था जिसका नाम राजस्व भू अभिलेखों में कृषक के रूप में दर्ज था। उन्होने आगे कथन किया है कि अमीन उर्फ पिल्ली पुत्र पटमल जाति मेव का देहान्त दिनांक 17.05.2015 को हो गया है तथा मृतक अमीन उर्फ पिल्ली के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी उसकी पत्नी नजीरा व पुत्री अजमेरी उर्फ शहनाज हुई तथा पटवारी हल्का द्वारा मृतक अपीमन उर्फ पिल्ली की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1835 दिनांक 14.07.2015 को उसके कानूनी उत्तराधिकारी पुत्री (अपीलार्थी) एवं पत्नी प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम भरा जाकर प्रस्तुत किया जो स्वीकृत नही हुआ एवं इसी

P.T.O.

दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अयूब पुत्र अमीदा के द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ बास के समक्ष मुताबिक वसीयत दिनांक 16.07.2011 के आधार पर मृतक की विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आवेदन दिनांक 29.06.2015 को प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार द्वारा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) में दर्ज कर उज्रदारी हेतु नोटिस जारी किये गये एवं प्रचलित अखबार में छाया करवाया गया तथा पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई, दिनांक 17.09.2015 को मृतक की पत्नी व पुत्री द्वारा लिखित में उज्रदारी पेशकर निवेदन किया गया कि मृतक अमीन उर्फ पिल्ली मेव द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नही की गई तथा असल वसीयत पेश नही की गई मृतक अमीन उर्फ पिल्ली हस्ताक्षर करता था जबकि तथाकथित वसीयत पर मृतक की अंगूठा निशानी है इसलिये मृतक की विरासत दर्जशुदा नामान्तरकरण संख्या 1835 उसके जायज व विधिक वारिसान के नाम तस्दीक किया जावें किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.05.2016 द्वारा अयूब पुत्र अमीदा द्वारा प्रस्तु प्रार्थना पत्र वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण हेतु को खारिज कर दिया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार किशनगढ बास के उक्त आदेश दिनांक 20.05.2016 के विरूद्ध अपील की सुनवाई का अधिकारी भू राजस्व अधिनियम के अनुसार न्यायालय श्रीमान् को प्रदत्त है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 20.05.2016 के विरूद्ध विधि विरूद्ध तरीके से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश नही कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के समक्ष पेश की गई तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार किशनगढ बास को रिमाण्ड कर दिया जिसकी पालना में तहसीलदार किशनगढ बास ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2022 पारित कर दिया जिससे अपीलार्थी के अधिकार गंभीर रूप से विपरित प्रभावित हुऐ है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 28.07.2015 द्वारा यह स्पष्ट हो गया था कि अपीलाधीन भूमि मृतक अमीन उर्फ पिल्ली को जरिये विरासत उसके पितामाह पटमल से जरिये नामान्तरकरण संख्या 432 से प्राप्त हुई जिससे यह तथ्य स्पष्ट हो गया था कि आराजी पैतृक है जिस भूमि की वसीयत करने का अधिकार मृतक अमीन उर्फ पिल्ली को नही था उसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ बास द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथाकथित कूटरचित, फर्जी वसीयत दिनांक 16.07.2011 पेश नही की गई केवल उसकी फोटो प्रति प्रस्तुत की गई जो साक्ष्य अधिनियम 1972 के अनुसार साक्ष्य में ग्राहय नही होने से एवं अपीलार्थीया द्वारा मृतक द्वारा ऐसी कोई वसीतय नही किया जाना वसीयत पर अपीलार्थीया के पिता हस्ताक्षर नही होना स्पष्ट किये जाने के बावजूद भी

P.T.O.

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित वसीयत को साबित करने हेतु कोई दस्तावेज, मौखिक साक्ष्यों नही लिये गये और अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2022 पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार किशनगढ बास द्वारा प्रकरण में पूर्व में धारा 135(2) के तहत निर्णय दिनांक 20.05.2016 पारित कर वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नामान्तरकरण प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया एवं उक्त आदेश दिनांक 20.05.2016 को जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नही करवा लेते तब तक उसी प्रकरण में तहसीलदार किशनगढ़ बास को पुनः विरोधाभाष निर्णय करने का क्षेत्राधिकार नही होने के कारण अपीलाधीन आदेश पारित नही किया जा सकता। उन्होने आगे कथन किया है कि विधि की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही समरी कार्यवाही है जिससे किसी भी पक्षकार का टाईटल तय नही होता है किन्तु जहॉ नामान्तरकरण प्राकृतिक वारिसान के आधार पर ही खोला जाता हो तो वहॉ कम से कम नामान्तरकरण ऑथोरिटी को कब्जे की जॉच करना भी आवश्यक है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे की युक्तियुक्त जांच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। न्याय का यह भी सुव्यवथित सिद्धान्त है कि वसीयत किसी प्रकार के कागज पर लिखी हो सकती है इसके पंजीकृत होना आवश्यक भी नही है किन्तु वसीयत का होना आवश्यक है एवं मृतक का निष्पादिन किया जाना प्राधिकृत तरीके से प्रमाणित किया जाना उस पक्ष के लिये साक्ष्य, सबूतों के आधार पर साबित करना आवश्यक है जो इस आधार पर कोई लाभ प्राप्त कर रहा है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में तो असल वसीयत या प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत ही नही किये जाने एवं केवल मात्र फोटो पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो किसी भी प्रकार से उचित नही है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ बास जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि दस्तावेज सूची मय दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर कथन किया है कि अपीलार्थी ने प्रकरण के कई तथ्यों को छिपाते हुए अपील प्रस्तुत की है जबकि अपीलार्थीया द्वारा ही वाद बाबत घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखा है जिसमें स्थगन भी ले रखा है और दो अन्य मामलों में भी राजस्व अपील अधिकारी अलवर से स्थगन ले रखा है जिसमें अपीलार्थी पक्षकार भी है। ऐसे में अपीलार्थीया के हक, हकूक अधिकार तो विचाराधीन नियमित वाद में ही तय होने है, नामान्तरकरण की कार्यवाही में उसे कुछ हांसिल नही होने वाला। नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही को तो स्थगित कर देना चाहिये। उन्होने आगे कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार मृतक अमीन उर्फ पिल्ली द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत की गई है तथा राजस्थान राज्य में वसीयत का रजिस्टर्ड होना कानूनन आवश्यक भी नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ़ बास द्वारा प्रकरण में

उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत व दस्तोवजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त ही गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि यह तथ्य निर्विवादित है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार अमीन उर्फ पिल्ली के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उक्त अमीन उर्फ पिल्ली के प्राकृतिक वारिस है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ बास द्वारा मूल वसीयत प्रस्तुत नही किये जाने और वसीयत की छाया प्रति के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2022 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ बास जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2022 को निरस्त किया जाता है तथा पक्षकारान के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के समक्ष विचाराधीन नियमित वाद के निस्तारण तक नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित भी किया जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

23/1/23

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।